भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1901

उत्तर देने की तारीख : 11.12.2025

एमएसएमई क्लस्टरों में निजी निवेश

1901. डॉ. सी. एम. रमेश :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में आंध्र प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) क्लस्टरों में निजी निवेश बढ़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) एमएसएमई के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने और कार्य करने की सुगमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या किसी केंद्रीय योजना को राज्य एजेंसियों के साथ साझेदारी में लागू किया जा रहा है ताकि एमएसएमई के विकास में निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : एमएसएमई मंत्रालय देशभर में सूक्ष्म और लघु उद्यम – क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। सरकार मौजूदा क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना करने तथा नई/मौजूदा औद्योगिक सम्पदाओं/क्षेत्रों/फ्लैटेड फैक्ट्री परिसरों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना/उन्नयन करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह एक मांग आधारित स्कीम है जहां राज्य/संघ-राज्य क्षेत्रों में मौजूदा क्लस्टर की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संबंधित राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। सीएफसी प्रस्तावों में त्रिपक्षीय निधियन पैटर्न का अनुसरण करते हैं जिसमें 60 – 80 प्रतिशत तक की भारत सरकार की हिस्सेदारी तथा 5-15 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी के भीतर आने वाले सहभागी एमएसएमई एसपीवी से होते हैं, जबकि शेष हिस्सेदारी संबंधित राज्य सरकार द्वारा पूरी की जाती है। पिछले 3 वर्षों में आंध्र प्रदेश में एमएसई-सीडीपी के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)	भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुमोदित अनुदान राशि (करोड़ रुपए में)
1	26	404.0252	260.98

(ख) और (ग) : केन्द्र सरकार एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय, विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है जिसका उद्देश्य देश में एमएसएमई क्षेत्र का संवर्धन और विकास करना है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीटीएमएसई), सूक्ष्म और लघु उद्यम – क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), खरीद और विपणन सहायता स्कीम (पीएमएसएस), एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में वृद्धि और गतिवर्धन (रैम्प), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम, टूल रूम, प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी), राष्ट्रीय अ.जा./अ.ज.जा. हब (एनएसएसएच), एमएसएमई चैम्पियंस, पीएम विश्वकर्मा आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने एमएसएमई के लिए वर्धित क्रेडिट फ्लो और व्यापार करने की सुगमता हेतु एमएसएमई क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए कई पहलें की हैं:-

i. क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के जरिए ऋण की विभिन्न श्रेणियों के लिए 90 प्रतिशत तक की गारंटी कवरेज के साथ एमएसई को 500 लाख रुपए तक की सीमा का कोलेटरल मुक्त ऋण (दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी)।
ii. आत्मनिर्भर भारत कोष के जरिए 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन। इस स्कीम में भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपए के कॉर्पस का प्रावधान किया गया है।
iii. एमएसएमई क्षेत्र के दायरे का विस्तार करने के लिए निवेश और कारोबार के आधार पर उच्चतम सीमा के साथ एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया मानदंड।
iv. व्यापार करने की सुगमता के लिए ''उद्यम पंजीकरण'' के जरिए एमएसएमई का नया पंजीकरण।
v. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी।
vi. दिनांक 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारियों का एमएसएमई के रूप में समावेशन।
vii. एमएसएमई के स्तर में उन्नयन के मामले में 3 वर्ष के लिए गैर-कर लाभों का विस्तार।
viii. 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में वृद्धि और गतिवर्धन (रैम्प) कार्यक्रम की शुरुआत।
ix. उद्यम पोर्टल तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय कॅरियर सेवा (एनसीएस) का एकीकरण जिसके परिणामस्वरूप पंजीकृत एमएसएमई एनसीएस पर रोजगार ढूंढने वालों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
x. विवाद से विश्वास-I के अंतर्गत एमएसएमई को काटी गई कार्यनिष्पादन सिक्योरिटी, बोली संबंधी सिक्योरिटी और लिक्विडेटेड नुकसान की 95 प्रतिशत वापसी के जरिए राहत प्रदान की गई। संविदाओं के निष्पादन में चूक के लिए निष्काषित एमएसएमई को भी राहत प्रदान कर दी गई।
xi. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले ऋण (पीएसएल) के अंतर्गत् लाभ प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत।
xii. 18 निर्धारित व्यापारों में संलग्न पारम्परिक कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ प्रदान करने के लिए दिनांक 17.09.2023 को ''पीएम विश्वकर्मा'' स्कीम की शुरुआत।

*****